अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय , उप निदेशक, कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 65–131 / 2012

अपीलार्थी – तबस्सुम आरा

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार

–: आदेश :–

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल निम्न न्यायालय के पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

इस अपीलवाद में मामला यह है कि बसंतपुर परियोजना के केन्द्र संख्या 112 वैरिया कमाल का औचक निरीक्षण श्रीमती नीलम कुमारी महिला पर्यवेक्षिका द्वारा दिनांक 05.03.12 को किया गया, निरीक्षण के समय सेविका श्रीमती तवस्सुम आरा केन्द्र पर से अनुपस्थित थी, सहायिका केन्द्र पर थी, केन्द्र पर पंजीकृत 40 बच्चे में से 22 बच्चे ही उपस्थित थे। निरीक्षण के समय केन्द्र पर से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेविका श्रीमती तवस्सुम आरा से कार्यालय पत्रांक 887 दिनांक 16.06.12 से स्पष्टीकरण की माँग दिनांक 23.06.12 की तिथि में किया गया।

निर्धारित तिथि 22.06.2012 को सेविका श्रीमती तबस्सुम आरा अपने स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित हुई, किन्तु सेविका द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से असहमति प्रकट करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के कार्यालय पत्रांक 1569 दिनांक 31.10.12 से चयन मुक्ति की पत्र निर्गत कर दिया गया। इस अपीलवाद की

सुनवाई इस न्यायालय में की गई, जिसमें अपीलार्थी के अधिवक्ता/सरकारी अधिवक्ता ने अपना–अपना पक्ष रखते हुए कागजात एवं साक्ष्य उपस्थापित किए। सुनवाई के क्रम अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बतलाया कि निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल का आदेश बिल्कुल गलत एवं नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। उन्होंने तर्क दिया कि ठीक है कि दिनांक 05.03.12 को निरीक्षण निरीक्षी पदाधिकारी महिला पर्यवेक्षिका ने किया। केन्द्र संचालित था, सहायिका उपस्थित थी, केन्द्र पर उस समय तक 22 पंजीकृत लाभुक बच्चे आ गए थे। केन्द्र बन्द करने के निर्धारित समय से आधा घंटा पहले अचानक सेविका श्रीमती तबस्सुम आरा की तबीयत खराब हो गई, तबियत खराब होने के कारण सहायिका को बोलकर स्थानीय डॉक्टर अविनाश कुमार/सरकारी डॉक्टर के पास ईलाज कराने हेतु चली गई, डॉक्टर के पुर्जा का अवलोकन कराया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि अगर तबियत खराब होने की बात जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को अविश्वसनीय लगा तो माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना के आदेश 18817/2012 के अनुसार इसकी जाँच करवाना चाहिए था कि वास्तव में तबियत खराब हुई डॉक्टर से दिखाया गया कि नहीं पुर्जा का सत्यापन किया जाना चाहिए न कि Presumption के आधार पर कि सेविका अनुपस्थित है, चयनमुक्त करने का आदेश पारित करना चाहिए था।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि सेविका को अगर One day absence जो तबियत खराब होने के कारण छुट्टी पर जाने से संबंधित है तो भी माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना के C.W.J.C. NO.- 317/2014 एवं 19486/2014 में भी अंकित है कि One day absence पर चयन मुक्ति आदेश पूर्णतः गलत एवं असंवैधानिक है। One days absence of an employee from her duty without leave is not such a grave charge that it may entail disengagement from her service. There fore punishment awarded to the petitioner is apparently too harse and shocking. किन्तु यहाँ तो One day absence की बात भी नहीं हुई, सेविका तो केन्द्र पर आई थी, मात्र केन्द्र बन्द होने के निर्धारित समय से पूर्व आधा घंटा पहले तबियत खराब होने पर डॉक्टर के पास दिखलाने गई थी।

इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता ने यह पक्ष रखा कि

निरीक्षण की तिथि को सेविका का गायब रहना उसके क्रियाकलाप को दर्शाता है, एक बहाना है किन्तु अपीलार्थी के अधिवक्ता ने दिनांक 05.03.12 को ईलाज कराये डॉक्टर पुर्जे का अवलोकन कराया एवं जाँच रिर्पोट भी अवलोकन कराया पता चला कि वास्तव में श्रीमती आरा ने निरीक्षण तिथि को अपना ईलाज कुशल चिकित्सक से कराने, चिकित्सा पदाधिकारी का पुर्जा, मेडिकल दवा दुकान का दवाई पुर्जा, उसी तिथि में अवलोकन कराया है जिसे किसी भी प्रकार से गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

उपरोक्त सारे विवेचनाओं निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल का आदेश पूर्णतः सही नहीं है, जिसे खंडित किया जा सकता है। क्योंकि अगर सेविका अपनी अस्वस्थता के वजह से केन्द्र बन्द होने से निर्धारित अवधि आधा घंटे पहले ईलाज हेतु चली गई पर तो चयन मुक्त कर देना, यह Nutural justice नहीं है। सेविका के नहीं रहने पर सहायिका अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहीं थी, बच्चें को स्कूल पूर्व शिक्षा, पूरक पोषाहार दिया गया था बच्चे की उपस्थिति भी 22 थी, अगर थोड़ा देर के लिए One day absence मान भी ले तो माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश C.W.J.C. NO – 317/2014 एवं 19486/2014 में One day absence को मान्यता/स्वीकृति दी गई है, क्योंकि असमान्य परीस्थिति व असहज स्थिति किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय आ सकती है। अतः यह न्यायालय ज्ञापांक 1569 दिनांक 31.10.12 बहुत ही कड़े दण्ड चयनमुक्ति का, को निरस्त करती है, तथा सेविका को निरीक्षण की तिथि को बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के आरोप में मात्र उसी तिथि को लघु दण्ड मात्र उसी दिन का ही मानदेय काटकर सेविका के पद पर चयन बरकरार रखने का आदेश पारित करती है।

लेखापित एवं संशोधित

22/12/2014

उप निदेशक, कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

22.12.2014

उप निदेशक, कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा